



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.05.22

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध को अपनी आय का स्रोत बना लेने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना रामकोट पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 246/22 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रामकोट सीतापुर में गैंगेस्टर से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 1.सोनेलाल पुत्र रामनारायन 2.राम नारायन पुत्र सन्तू निवासीगण गरगटा थाना रामकोट जनपद सीतापुर को ग्राम गरगटा के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर एवं अभ्यस्त किस्म का अपराधी है, जो आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अवैध तरीके से शराब में मिलावट/परिवहन/बिक्री जैसे अपराध कारित करते है तथा जिनके विरुद्ध सम्बन्धित धाराओं में पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत हैं। **अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।** अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. सोनेलाल पुत्र रामनारायन निवासी गरगटा थाना रामकोट जनपद सीतापुर
2. राम नारायन पुत्र सन्तू निवासी गरगटा थाना रामकोट जनपद सीतापुर

पंजीकृत अभियोग-मु0अ0सं0 246/22 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रामकोट
सीतापुर

पुलिस टीम थाना रामकोट-

1. व0उ0नि श्री करुणेश सिंह
2. हे0का0 डीलचन्द्र
3. का0 लंकेश यादव
4. का0 भास्कर यादव
5. का0 कपिल देव

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण – मु0अ0सं0 525/2020 धारा 60/64/72 आबकारी
अधिनिमय व 420/467/468/471/474 भादवि थाना रामकोट सीतापुर

